MAIN Helpline:
18008912995

MAIN
MIGRANT ASSISTANCE AND INFORMATION NETWORK
Accompanying Distress Migrants

मिशन

संकटग्रस्त प्रवासी मजदूर वर्ग का साथ देना, उनकी सेवा करना तथा उनकी वकालत करना ।

दृष्टि

ऐसे मानवीय समाज का निर्माण करना जिसमे संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिक वर्ग, सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके।

प्रवासी सहायता एवं सूचना नेटवर्क (MAIN), जेसुइट संगठनों की एक मिली-जुली पहल है जिसके द्वारा भारत में संकटग्रस्त प्रवासियों की मदद की जाती है।

यह पहल इस सोच पर आधारित है कि घरेलू और अन्तरराज्यीय प्रवासी मजदूरों को सुचारु रूप से मिल-जुल कर नवीन प्रकार से मदद पहुंचाई जा सके। इस मिशन को प्रभावी बनाने के लिए जेसुइट परिवार का मानना है, कि देश भर के गैर-सरकारी संगठनों, जन संगठनों, धार्मिक संगठनों, सार्वजनिक और निजी संस्थानो, स्वयंसेवकों, छात्रों तथा जन साधारण आदि का सहयोग लेना जरुरी है ताकि संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों के जीवन में सुधार तथा विकास लाया जा सके।

अतः ये माना गया है कि यह एक साझेदारी और नेटवर्किंग का मॉडल है। व्यक्तिगत और संगठनात्मक तौर पर दिए जाने वाले योगदान को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जायेगा। इस मॉडल का लक्ष्य है कि शोध और नीतिगत समर्थन के द्वारा प्रवासी मजदूरों की एजेंसी को सशक्त किया जाए और इस कार्य में प्रवासी मजदूरों को सहयोगी के रूप में देखा जाए।

उद्देश्य :

1) संकटग्रस्त प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर के द्वारा सहायता की व्यवस्था करना।
2) सहभागी संस्थान, गैर सरकारी संगठन, नेटवर्क्स तथा स्वयंसेवकों के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिक मजदूरों तक सहायता पहुंचाना।
3) मुसीबत में की गयीं कॉल तथा अन्य प्रमाणित आंकड़े आधारित माध्यम से प्रवासी मजदूरों की पैरवी हेतु सरकार तथा अन्य पक्षों के साथ काम करना।

एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो संकट में प्रवासियों का साथ दे

टोल-फ्री हेल्पलाइन सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, जिसमें संकटग्रस्त प्रवासी/उसके परिवार के सदस्य/करीबी सहयोगी महत्वपूर्ण सहायता/सूचना लेने के लिए कॉल कर सकते हैं। सभी कॉल दिल्ली स्थित सेंट्रल हब तक पहुंच जाएंगी। सेंट्रल हब की टीम प्राप्त कॉलों का आकलन करेगी और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य हब को सूचना भेज देगी। 24 घंटे के समय में एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है और एक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मामले की प्रकृति के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र, राज्य और जोनल हब, संकटग्रस्त प्रवासियों की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों, नेटवर्क और स्वयंसेवकों के साथ भागीदार के रूप में काम करेंगे।

संकट की परिस्थिति

- न्यायिक सहायता और मध्यस्थता (मजदूरी न दिया जाना, देर से भुगतान)
- सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला
- सरकारी योजनाओं में पात्रता सम्बन्धी और लाभ सम्बन्धी
- आपात कालीन स्वास्थ्य सहायता तथा मार्ग दर्शन (दुर्घटना, मृत्यु, आदि)
- सेवा योजक अथवा मकान मालिक द्वारा पात्रता कार्ड का जब्त किया जाना
- मानसिक स्वास्थ तथा मनोसामाजिक सहायता
- गुमशुदा तथा अपहरण की स्थिति में
- उत्पीड़न, हिंसा और दुरूपयोग
- मानव तस्करी तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन
- उदगम और गंतव्य राज्यों को आपस में जोड़ना

हमारी पहुंच

वर्तमान में MAIN इन राज्यों में कार्यरत है

बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और केरला। कुछ समय के पश्चात इसका विस्तार किया जायेगा। MAIN राज्य तथा केन्द्र सरकार के साथ भी कार्य करेगा।

सेवा के इस कार्य में जुड़ें !

क्या आप प्रवासी मजदूर की सेवा व सहायता हेतु जेसुइट्स तथा सहयोगियों के साथ जुड़ना चाहते हैं ? यह एक अवसर है ! संकटग्रस्त प्रवासी मजदूर का मानवता में अटूट विश्वास बन सके तथा उनकी आवाज़ बुलंद हो इसके लिए आप हमारा साथ दीजिये।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

प्रवासी सहायता और सूचना नेटवर्क **(MAIN)**
इंडियन सोशल इंस्टिट्यूट, 10, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष: 9560436514 , ईमेल: info@mainindia.org, वेबसाइट: www.mainindia.org